सार्वजनिक सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि शासनादेश संख्या–4835/77–4–20–03जीएन/20, दिनांक 01.01.2021 व संख्या–852/77–4–20–03जीएन/20, दिनांक 21.04.2021 एवं संख्या– 2958/77–4–22–03जीएन/20, दिनांक 05.09.2022 के क्रम में ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण में यथा आवश्यकता पदों पर कार्यहित में सेवानिवृत्त कार्मिक 01 नग भूमि परामर्शदाता के कार्य हेतु नियुक्त करने के सम्बन्ध में।

1. भूमि परामर्शदाता के कार्य हेतु महाप्रबंधक (प्रशासन/सामान्य) के 01 पद हेतु उ0प्र0 शासन की सेवा से अथवा शासकीय निगमों/प्राधिकरणों में मैटिक्स लेवल–13, ग्रेड पे–8700 के पद से सेवानिवृत्त अधिकारी अथवा न्यूनतम उप जिलाधिकारी स्तर से सेवानिवृत्त अधिकारी ही पात्र होंगे।
2. 65 वर्ष से कम आयु के सेवानिवृत्त कर्मी ही आवेदन हेतु पात्र होंगे। किसी भी दशा में 65 वर्ष से अधिक के कर्मियों के आवेदन पर विचार नही किया जायेगा ।
3. सेवानिवृत्ति के पश्चात् पूर्णतः स्वस्थ सेवानिवृत्त कर्मी ही आवेदन हेतु पात्र होंगे। इस संबंध में मुख्य चिकित्सा अधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा ।
4. अपने सेवाकाल की अवधि में शासकीय कार्यो के गुणवत्ता के कारण सरकारी/शासकीय तथा अपने विभाग द्वारा कोई प्रशंसा पत्रिका/ऑनोरेरियम/विशेष पदोन्नति प्राप्त की हो का प्रमाण पत्र है तो वह भी उपलब्ध करायें।
5. आवेदन के साथ रू0 10/– के स्टाम्प पेपर पर नोटरी द्वारा सत्यापित इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा कि सेवानिवृत्ति से पूर्व के विगत 10 वर्षो में उनके विरूद्ध किसी भी जॉच/विभागीय कार्यवाही में दण्डात्मक कार्यवाही (वृहद दण्ड/लघु दण्ड/सत्यानिष्ठा न प्रमाणित किया जाना) शासकीय अथवा विभागीय स्तर पर न हुई हो या दण्ड प्राप्त न किया गया हो ।
6. सेवानिवृत्ति एवं आयु के संबंध में प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
7. समस्त सेवाभिलेखों की स्वतः प्रमाणित प्रतियॉ उपलब्ध करानी होगी।
8. कोई सगा–सम्बन्धी पूर्व से ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण में स्थाई/अस्थाई/ दैनिक वेतन/मानवशक्ति आपूर्तिदाता के माध्यम से किसी भी पद पर कार्यरत नही है का शपथ–पत्र प्रस्तुत करना होगा।

उपरोक्त के संबंध में आवेदन पत्र का प्रारूप प्राधिकरण की वेबसाईट http://greaternoidaauthority.com से प्राप्त करते हुए आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप पर सम्बन्धित दस्तावेजों के साथ इस सार्वजनिक सूचना के प्रकाशन की तिथि से 01 सप्ताह के अन्दर डिप्टी कलेक्टर (कार्मिक), ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण के प्रशासनिक भवन प्लॉट नम्बर–1, नॉलेज पार्क–4, ग्रेटर नोएडा सिटी, जिला–गौतमबुद्धनगर स्थित कार्यालय में व्यक्तिगत रूप से अथवा डाक के माध्यम से आवेदन प्रस्तुत कर सकते है ।

06.9.24

डिप्टी कलेक्टर (कार्मिक)

ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण

सार्वजनिक सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि शासनादेश संख्या—4835/77—4—20—03 जीएन/20, दिनांक 01.01.2021, शासानदेश संख्या—852/77—4—20—03जीएन/20, दिनांक 21.04.2021 एवं शासनादेश संख्या—2958/77—4—22—03जीएन/20, दिनांक 05.09.2022 के प्रावधानों के अन्तर्गत ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण में कार्यहित में रिक्त पदों के सापेक्ष यथा आवश्यकता सेवानिवृत्त 03 प्रबंधक (प्रशासन/सामान्य), 03 सहायक प्रबंधक (प्रशासन/सामान्य), 02 प्रबंधक (विद्युत/यान्त्रिकी), 02 सहायक प्रबंधक (विद्युत/यान्त्रिकी), 05 सहायक प्रबंधक (सिविल), 05 कनिष्ठ सहायक एवं 04 लेखपाल कार्मिकों को एक निश्चित् अवधि के लिए निर्धारित मानदेय पर अनुबन्ध के आधार पर रखे जाने के सम्बन्ध में।

1. उ0प्र0 शासन की सेवा से अथवा शासकीय निगमों/प्राधिकरणों से सेवानिवृत्त कार्मिक ही आवेदन हेतु पात्र होंगे।
2. 65 वर्ष से कम आयु के सेवानिवृत्त कर्मी ही आवेदन हेतु पात्र होंगे। किसी भी दशा में 65 वर्ष से अधिक के अधिकारियों को अनुबन्ध पर नही रखा जायेगा।
3. सेवानिवृत्ति के पश्चात् पूर्णतः स्वस्थ सेवानिवृत्त कर्मी ही आवेदन हेतु पात्र होंगे। इस संबंध में मुख्य चिकित्सा अधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना ड़ोगा ।
4. आवेदक को अपने सेवाकाल की अवधि में शासकीय कार्यो के गुणवत्ता के कारण सरकारी/शासकीय तथा अपने विभाग द्वारा कोई प्रशंसा पत्रिका/ऑनोरेरियम/विशेष पदोन्नति प्रदान की गयी हो का प्रमाण पत्र है तो वह भी उपलब्ध कराया जायेगा।
5. आवेदन के साथ रू0 10/— के स्टाम्प पेपर पर नोटरी द्वारा सत्यापित इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा कि सेवानिवृत्ति से पूर्व के विगत 10 वर्षो में उनके विरूद्ध किसी भी जॉच/विभागीय कार्यवाही में दण्डात्मक कार्यवाही (वृहद दण्ड/लघु दण्ड/सत्यानिष्ठा न प्रमाणित किया जाना) शासकीय अथवा विभागीय स्तर पर न हुई हो या दण्ड प्राप्त न किया गया हो ।
6. सेवानिवृत्ति एवं आयु के संबंध में नियमानुसार प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
7. समस्त सेवाभिलेखों की स्वतः प्रमाणित प्रतियॉ उपलब्ध करानी होगी।
9. कोई सगा—सम्बन्धी पूर्व से ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण में स्थाई/अस्थाई/दैनिक वेतन/मानवशक्ति आपूर्तिदाता के माध्यम से किसी भी पद पर कार्यरत नही है का शपथ—पत्र प्रस्तुत करना होगा।

उपरोक्त के संबध में आवेदन पत्र का प्रारूप प्राधिकरण की वेबसाईट http://greaternoidaauthority.com से प्राप्त करते हुए आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप पर सम्बन्धित दस्तावेजों के साथ इस सार्वजनिक के प्रकाश की तिथि से 15 दिन के अन्दर डिप्टी कलेक्टर, कार्मिक, ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण के प्रशासनिक भवन प्लॉट नम्बर—1, नॉलेज पार्क—4, ग्रेटर नोएडा सिटी, जिला—गौतमबुद्धनगर स्थित कार्यालय में व्यक्तिगत रूप से अथवा डाक के माध्यम से आवेदन प्रस्तुत कर सकते है।

06.9.24

डिप्टी कलेक्टर (कार्मिक)

ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण